भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2022

संख्या लैज.17/2022.– दि हरियाणा वाटर रिसॉःसज (कॉनसॅवेशॅन रेगुलेशन एण्ड मॅनेजमेन्ट) ऑःथॉरिटि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2022 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022

हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(कख) "बल्क जल" से अभिप्राय है, अनुमापी रूप से उपलब्ध करवाया गया सतही जल या संसाधित अपजल, चाहे सिंचाई के प्रयोजन हेतु हो या किसी अन्य प्रयोजन हेतु हो;';

(ii) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(टक) "खुदरा आपूर्ति" से अभिप्राय है, किसी संस्था द्वारा किसी भी व्यष्टि परिवार, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आपूर्ति;';

(iii) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(ढक) "संसाधित अपजल" से अभिप्राय है, सीवरेज तथा बहिःस्त्राव अपजल के अभिक्रियान्वयन से उत्पन्न संसाधित अपजल;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2020 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

"18. बल्क तथा संसाधित अपजल हेतु टैरिफ.–(1) प्राधिकरण, मितव्ययता, क्षमता, निष्पक्षता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर सतही जल तथा संसाधित अपजल के बल्क जल उपयोग के लिए टैरिफ नियत करेगा। टैरिफ, जल की खपत के अनुमापी मापन पर आधारित होगा और उचित रूप से डिजाईन किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, सरकार को सम्बन्धित संस्था द्वारा व्यष्टि परिवार, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को उपलब्ध करवाए गए जल की खुदरा दरों की सिफारिश करेगा।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:– 2020 के हरियाणा अधिनियम 29 में धारा 18क तथा 18ख का रखा जाना।

"18क. पॉलिसी का लागूकरण.– सरकार द्वारा, समय–समय पर, संसाधित अपजल के पुनःउपयोग के लिए जारी की गई पॉलिसी को लागू करने का दायित्व प्राधिकरण का होगा।

18ख. अपील.–(1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए टैरिफ के सम्बन्ध में ऐसे निर्णय की तिथि से तीस दिन के भीतर सरकार को अपील की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील ऐसे प्ररूप तथा रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) सरकार, आदेश द्वारा, अपील को अस्वीकार कर सकती है या टैरिफ का संशोधन कर सकती है और सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

9592—L.R.—H.G.P., Pkl.